# कार्यालय सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी फिरोजाबाद।

पत्रांक:1046/20–गति सीमा मार्गवार/2020 दिनांक:–23.06.2020

## अधिसूचना

केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59, 1988) की धारा–112 की उपधारा (2) में प्राविधानित है कि यदि राज्य सरकार का ऐसे किसी प्राधिकारी को जो इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत हो, समाधान हो जाता है कि सार्वजनिक सुरक्षा या सुविधा की दृष्टि से या किसी सड़क या पुल के स्वरूप के कारण यह आवश्यक है कि मोटर यानों की गति परिसीमित की जाये, तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा और धारा 166 के अधीन उचित स्थानों पर यातायात चिन्ह रखवाकर या लगवाकर मोटर यानों की या किसी विर्निदिष्ट वर्ण या वर्णन के मोटर यानों की या ऐसे मोटर यानों की जिनके साथ ट्रेलर संलग्न है या तो साधारणतया या किसी विशिष्ट क्षेत्र में या विशिष्ट सड़क या सड़कों के बारे में ऐसी अधिकतम गति सीमायें या न्यूनतम गतिसीमायें नियत कर सकेगी जो ठीक समझे।

उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली–1988 के नियम 178 में वर्णित है कि नगर निगम, नगर पालिका या नगर पंचायत के भीतर पुलिय अधीक्षक और अन्य क्षेत्रों में रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी अपने अपने अधिकारिता क्षेत्र के भीतर किसी क्षेत्र में या किसी सड़क पर गति पर निबन्धन या सामान्यतया मोटरयानों या किसी विशिष्ट वर्ग या वर्गो के मोटरयानों के प्रयोग पर निबन्धन या प्रतिषेध का ऐसा आदेश जैसा कि वह उचित समझे दे सकता है, ऐसे शासनादेश अधिसूचना द्वारा सरकारी गजट में और ऐसे स्थान या मार्ग पर या उसके निकट, जहॉ से लागू होते हैं, सूचना पट्टों के माध्यम से प्रकाशित किये जायेंगे।

अतः मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59, 1988) की धारा–112 की उपधारा (2) के साथ पठित उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 के नियम–178 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये फिरोजाबाद जनपद होकर निकलने/चलने वाले नगीय निकायों के अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में मार्गो या मार्गो के अंश पर संचालन हेतु श्रेणीवार वाहनों की अधिकतम गति सीमा निम्नलिखित तालिकानुसार निर्धारित की जाती है :–

| क्र0सं0 | मार्ग का नाम एवं संख्या | फिरोजाबाद जनपद में लम्बाई (कि0मी0 में) | यान की श्रेणी अनुसार निबंधित कर निर्धारित की गयी गति सीमा प्रति कि0मी0(प्रति घण्टा) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | टू व्हीलर/थ्री व्हीलर/चौपहिया साइकिल | चालक सहित 8 सीटों तक वाले यात्री वाहन | चालक सहित 9 से अधिक सीटों तक वाले यात्री वाहन | समस्त मालयान एवं स्तम्भ 4,5 एवं 6 को छोड़कर अन्य समस्त यात्री यान |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | शिकोहाबाद–एटा वाया रजौर औछा–मुस्तफाबाद | 85 | 40 कि0मी0 प्रति घण्टा | 60 कि0मी0 प्रति घण्टा | 60 कि0मी0 प्रति घण्टा | 50 कि0मी0 प्रति घण्टा |
| 2 | फिरोजाबाद–कोटला फरिहा | 20 | 40 कि0मी0 प्रति घण्टा | 60 कि0मी0 प्रति घण्टा | 60 कि0मी0 प्रति घण्टा | 50 कि0मी0 प्रति घण्टा |
| 3 | फिरोजाबाद–कोटला– फरिहा–मुस्तफाबाद–एका–फकोटू–एटा | 85 | 40 कि0मी0 प्रति घण्टा | 60 कि0मी0 प्रति घण्टा | 60 कि0मी0 प्रति घण्टा | 50 कि0मी0 प्रति घण्टा |
| 4 | घिरोर–जसराना–मुस्तफाबाद–एका–वसुन्धरा वाया अवागढ | 65 | 40 कि0मी0 प्रति घण्टा | 60 कि0मी0 प्रति घण्टा | 60 कि0मी0 प्रति घण्टा | 50 कि0मी0 प्रति घण्टा |
| 5 | शिकोहाबाद–कोटला–सैलई–खैरगढ–मक्खनपुर–प्रतापपुर–हाथवन्त–मुस्तफाबाद | 65 | 40 कि0मी0 प्रति घण्टा | 60 कि0मी0 प्रति घण्टा | 60 कि0मी0 प्रति घण्टा | 50 कि0मी0 प्रति घण्टा |
| 6 | सिरसागंज–किशनी | 70 | 40 कि0मी0 प्रति घण्टा | 60 कि0मी0 प्रति घण्टा | 60 कि0मी0 प्रति घण्टा | 50 कि0मी0 प्रति घण्टा |
| 7 | शिकोहाबाद–बटेश्वर–बलाईघाट | 40 | 40 कि0मी0 प्रति घण्टा | 60 कि0मी0 प्रति घण्टा | 60 कि0मी0 प्रति घण्टा | 50 कि0मी0 प्रति घण्टा |
| 8 | फिरोजाबाद–फतेहाबाद | 25 | 40 कि0मी0 प्रति घण्टा | 60 कि0मी0 प्रति घण्टा | 60 कि0मी0 प्रति घण्टा | 50 कि0मी0 प्रति घण्टा |
| 9 | शिकोहाबाद–नगला खंगर–नगला गुलाल | 25 | 40 कि0मी0 प्रति घण्टा | 60 कि0मी0 प्रति घण्टा | 60 कि0मी0 प्रति घण्टा | 50 कि0मी0 प्रति घण्टा |
| 10 | फिरोजाबाद–रिजावली–जलेसर | 40 | 40 कि0मी0 प्रति घण्टा | 60 कि0मी0 प्रति घण्टा | 60 कि0मी0 प्रति घण्टा | 50 कि0मी0 प्रति घण्टा |
| 11 | घिरोर–जसराना–मुस्तफाबाद–फरिहा–नारखी– पचोखरा | 75 | 40 कि0मी0 | 60 कि0मी0 | 60 कि0मी0 | 50 कि0मी0 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | एटा–शिकोहाबाद मार्ग | 32 | 40 कि0मी0 प्रति घण्टा | 60 कि0मी0 प्रति घण्टा | 60 कि0मी0 प्रति घण्टा | 50 कि0मी0 प्रति घण्टा |
| 13 | शिकोहाबाद–भोगॉव मार्ग | 21 | 40 कि0मी0 प्रति घण्टा | 60 कि0मी0 प्रति घण्टा | 60 कि0मी0 प्रति घण्टा | 50 कि0मी0 प्रति घण्टा |
| 14 | टूण्डला–अवागढ–एटा मार्ग | 21 | 40 कि0मी0 प्रति घण्टा | 60 कि0मी0 प्रति घण्टा | 60 कि0मी0 प्रति घण्टा | 50 कि0मी0 प्रति घण्टा |
| 15 | उखरण्ड–उरावर मार्ग | 19 | 40 कि0मी0 प्रति घण्टा | 60 कि0मी0 प्रति घण्टा | 60 कि0मी0 प्रति घण्टा | 50 कि0मी0 प्रति घण्टा |
| 16 | मक्खनपुर–नसीरपुर मार्ग | 17 | 40 कि0मी0 प्रति घण्टा | 60 कि0मी0 प्रति घण्टा | 60 कि0मी0 प्रति घण्टा | 50 कि0मी0 प्रति घण्टा |
| 17 | फिरोजाबाद–दतावली मार्ग | 19 | 40 कि0मी0 प्रति घण्टा | 60 कि0मी0 प्रति घण्टा | 60 कि0मी0 प्रति घण्टा | 50 कि0मी0 प्रति घण्टा |

गति सम्बन्धी उपरोक्त प्रतिबन्ध निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रभावी होगा :–

(1) मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–116 में विनिर्दिष्ट साइन बोर्ड प्रतिबन्धित स्थान के दोनों छोर पर प्रारम्भिक एवं अन्तिम बिन्दु तथा मध्य में भी जगह–जगह पर आई0आर0सी0 कोड के मानक के अनुसार संबंधित सड़क के स्वामित्व वाले विभाग द्वारा इस प्रकार लगाया जायेगा कि वाहन चालकों को इसकी जानकारी एवं ज्ञान हो सके तथा वे रात्रि में भी चमकें, इसके लिये रेट्रो–रिफ्लेक्टिव टेप का प्रयोग किया जायेगा।

(2) उक्त प्रतिबन्ध केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के विनिर्दिष्ट निम्न प्रकार के वाहनों पर लागू नहीं होगा:–

अ) अग्नि शमन वाहन

ब) एम्बुलेंस

स) पुलिस वाहन

द) कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने में लगे सैन्य बल तथा अर्ध सैन्य बल के लिये प्रयुक्त होने वाले वाहन।

य) प्राकृतिक आपदा प्रबन्धन के लिये प्रयुक्त वाहन।

(3) उपरोक्त तालिका के क्रमांक 3 में उल्लिखित स्थानों को छोड़कर जनपद के सभी मार्गों के अन्य क्षेत्रों (नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर) में केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 या 59) की धारा–112 की उप धारा (1) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा जारी की गयी अधिसूचना संख्या 1377, का0आ0–1522(अ) दिनांक 06.04.2018, समय–समय पर यथा संशोधित, द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा यथावत लागू रहेगी।

आज्ञा से
23/06/20

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी/
रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी,
जनपद फिरोजाबाद।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक (यातायात) यातायात निदेशालय, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, फिरोजाबाद।
4. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, फिरोजाबाद।
5. निदेशक छपाई एवं मुद्रण, राजकीय प्रेस, जनपद फिरोजाबाद को इस अनुरोध के साथ कि उक्त अधिसूचना को राज्य सरकार के प्रकाशित होने वाले सरकारी गजट में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
6. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 फिरोजाबाद/निर्माण खण्ड–1 लो0नि0विभाग, फिरोजाबाद/निर्माण खण्ड भवन, लो0नि0वि0, फिरोजाबाद।
7. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, आगरा मण्डल आगरा।

आज्ञा से

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी/
रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी